hn-sl 5166Loh

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:— :मराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—211 / 2021 दायर दिनांक 26.03.2021

जीसीएमएस आई0डी0:—2021 / 123

1. राजेन्द्र उम्र 35 साल } पिसरान देवीसिंह जाति गुर्जर निवासी
2. राजेश उम्र 24 साल } भायलापुरा हिण्डौन
3. राजेश्वरी उर्फ राजकुमारी उम्र 30 साल पुत्री दरवसिंह पत्नि श्यामसिंह जाति गुर्जर निवासी भायलापुरा हिण्डौन सिटी हालवासी श्रीराम नगर कॉलोनी डिसीएम कोटा।
4. राधा उम्र 26 साल पुत्री दरवसिंह पत्नि जगरामसिंह जाति गुर्जर निवासी भायलापुरा हिण्डौन सिटी हालवासी श्रीराम नगर कॉलोनी डिसीएम कोटा।
5. सुशीला उम्र 60 साल पत्नि स्व0 दरवसिंह जाति गुर्जर निवासी भायलापुरा हिण्डौनसिटी जिला करौली।

——सायलान—05

बनाम

1. अमरसिंह उम्र 62 साल पुत्र बद्री }
2. भूरसिंह उम्र 32 साल पुत्र ज्ञानसिंह } जाति गुर्जर निवासी भायलापुरा
3. रामवीर उम्र 35 साल पुत्र सरदार } तहसील हिण्डौन जिला करौली।
4. सुगरसिंह उम्र 40 साल पुत्र भगवत }
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।

——गैरसायलान—05

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:—1. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन वकील सायलान
2. श्री सीताराम गुर्जर गैरसायलान

निर्णय दिनांक:— 3-6-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 5272 रकबा 0.72 हैक्टेयर, 6273 / 1 रकबा 0.57 हैक्टेयर, 5274 / 1 रकबा 0.23 हैक्टेयर 5275 / 1 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 5276 / 1 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 5277 / 1 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 5278 / 1 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 6279 / 1 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.22 हेक्टेयर स्थित ग्राम हिण्डौन, तहसील हिण्डौन जिला करौली सायलान एवं गैरसायलान 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी की मौजूदा काश्त की आराजी है। जो कि हिण्डौन करौली राजमार्ग एवं हिण्डौन बाईपास के सहारे स्थित है। उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में सायलान का हिस्सा 1/2 एवं गैरसायलान 1 ता 4 एवं गैरसायल रामवीर की मां शंकरिया पत्नि सरदार का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

भूमि मुतजिक्रा मद नं. 2 की खातेदार शंकरिया पत्नि सरदार हिस्सा 1/16 का देवयोग से जुलाई 2020 के आसपास स्वर्गवास हो गया है, उनके तरके पर उनका पुत्र गैरसायल सं 3 रामवीर काबिज व दखिल है।

दिनांक 01.01.2000 को सायलान के बुजुर्ग दरवसिंह एवं गैरसायलान 1 ता 4 एवं उनके बुजुर्गान ने भूमि मुतजिका मद नं 2 प्रार्थनापत्र का कास्त की सुविधा के लिये वाहमी तौर पर बंटवारा कर लिया था, जिसके अनुसार आराजी मुतजिका मद नं 2 प्रार्थनापत्र में से हिण्डौन करौली राजमार्ग पर स्थित खसरा नं 5279/1 एवं उसके उतार पश्चिम में स्थित खसरा नं 5272/1, खसरा नं 5277/1 का पश्चिमी तरफ वाला भाग एवं खसरा नं 5275/1 का अधिकांश भाग, खसरा नं 5276/1 का सम्पूर्ण एवं खसरा नं 5272 का दक्षिण तरफ वाला 1/2 भाग तथा उससे जुडा हुआ तरफ पूर्व माईपास रोड पर स्थित खसरा नं. 5275/1 का भाग सायलान के स्व० बुजुर्ग दरवसिंह को कब्जे, हक, अधिकार व हिस्से में दिया गया, जिसे संलग्न नक्शा प्रार्थनापत्र में लाल रंग की रोशनाई से महदूद कर प्रदर्शित किया गया है. संलग्न नक्शा प्रार्थनापत्र, प्रार्थनापत्र का ही एक भाग है। वाहमी बंटवारा दिनांक 01.01. 2020 में प्रतिसायलान 1 ता 4 एवं उनके बुजुर्ग ज्ञानसिंह, सरदार, भगवत को आराजी मुतजिका मद नं 2 प्रार्थनापत्र में से खसरा नं 5277/1 5278/1, 5279/1 का पश्चिमी तरफ वाला भाग, खसरा नं 5274/1 का सम्पूर्ण भाग, खसरा नं 5273/1 का सम्पूर्ण भाग, खसरा नं 5272 का उत्तरी तरफ वाला आधा भाग कब्जे, हक, अधिकार व हिस्से में दिया गया, गैरसायलान से 1 ता 4 एवं उनके बुजुर्ग ज्ञानसिंह, शंकरिया को उक्त वाहमी बंटवारे में कब्जे, हक, अधिकार में दी गई आराजी को संलग्न नक्शा प्रार्थनापत्र में हरे रंग की रोशनाई से महदूद कर प्रदर्शित किया है, संलग्न नक्शा प्रार्थनापत्र में हिण्डौन करौली राजमार्ग एवं हिण्डौन बाईपास रोड को पीले रंग की रोशनाई से महदूद कर प्रदर्शित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

सायलान के बुजुर्ग स्व० दरवसिंह द्वारा संयुक्त खातेदारी आराजी मुतजिका मद नं 2 प्रार्थनापत्र में से वाहमी बंटवारा दिनांक 01. 01.2000 को प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आराजी बरंग लाल में खसरा नं 5279/1 की आराजी में पुख्ता दुकानात का निर्माण कर उन किरार दिया है मुलाराजी की गाईवसाय के लिये किराये पर दिया है, और अपने हवा में अधिकार की आराजी खसरा नं 5278/15277/1 में पहुंचने के लिये रास्ता छोड़ा है, खसरा नं 5277/1 में कॉलेज बाउंड्री के सहारे पांच गह पाटीरपोष एवं कुये का निर्माण करवाया है, शेष आराजी खसरा नं 5272 के दक्षिणी भाग 5276/1 में खंडे डालकर, पानी की टंकी का निर्माण कर व कास्त कर, 6275/1, 6277/1, 5278/1, 5279/1 को साल दर साल फसल कास्त कर उपयोग उपभोग में लिया है. वर्तमान में सायलान उक्त आराजी पर वहैसियत खातेदार काबिज व दखिल हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथमदृष्टया केश बखूबी प्रमाणित है।

गैरसायलान एवं उनके बुजुर्ग स्व० ज्ञानसिंह, शंकरिया द्वारा संयुक्त खातेदारी आराजी मुतजिका मद नं 2 प्रार्थनापत्र में से वाहमी बंटवारा दिनांक 01.01.2000 को प्राप्त आराजी बरंग हरा में खसरा नं 5279/1 की आराजी के दक्षिण पश्चिमी भाग में पुख्ता दुकानात का निर्माण कर उन्हें किराये पर दिया है, कुछ आराजी को मार्बल व्यवसाय के लिये किराये पर दिया है, और अपने हक व अधिकार की आराजी खसरा नं 5278/1 व 5277/1 में पहुंचने के लिये रास्ता छोडा है, शेष आराजी खसरा नं 5272 के उत्तरी भाग, 5273/1, 5274/1, 5277/1, 5278/1 को साल दर साल फसल कास्त कर उपयोग उपभोग में लिया है, वर्तमान में गैरसायलान उक्त आराजी पर वहैसियत खातेदार उक्त वाहमी बंटवारे अनुरूप काबिज व दखिल हैं। आराजी मुतजिका मद नं 2 प्रार्थनापत्र हिण्डौन करौली राजमार्ग, हिण्डौन बाईपास रोड पर स्थित होने के कारण अब वेशकीमती हो गई है. इसी कारण संयुक्त खातेदारी की आराजी होने का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायलान 1 ता 4. सावलान के कब्जे हक र अधिकार में वाहमी बंटवारा दिनांक 01.01.2000 से चाली आ रही आराजी भूमि बरंग लाल संलग्न नक्शा प्रार्थनापत्र में से आराजी खसरा नं 6276/1 व खसरा नं 5272 के दक्षिणी तरफ वाले हिण्डौन बाईपास एवं करौली हिण्डौन राजमार्ग तिराहे पर स्थित कॉर्नर भूमि [illegible] छीनना चाहते हैं, जिसके लिये गैरसायलान ता 4 द्वारा विधि [illegible] सायलान के कब्जे, हक व अधिकार की आराजी भूमि खसरा नं 5276/1 की भूमि में नाजायज कब्जा कर निर्माण करने के लिये दिनांक 24.03.2021 को समय करीब सुबह 11 बजे

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान से कहा कि आप उक्त आराजी में डाल रखे खंडों को तुरन्त हटाओ, नहीं तो हम इन्हें हटाकर भूमि पर कब्जा कर, पुख्ता निर्माण करेंगे, इस पर सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाया, और बताया कि आराजी मुतजिका मद नं 2 भूमि का पूर्व में ही दिनांक 01.01.2000 को बंटवारा हो गया है, बंटवारें में हमें प्राप्त भूमि के रोड सहारे के भाग पर हमने पुख्ता दुकानात का, आपने अपनी भूमि में पुख्ता दुकानात का व अन्य निर्माण कर लिये हैं. भूमि खसरा नं 5272 का दक्षिणी तरफ वाला आधा भाग एवं खसरा नं 5276/1 का सम्पूर्ण भाग उक्त वाहमी बंटवारे में हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें भूमि के उपयोग हेतु हमारे खंडे पड़े हैं, अब आप हमसे खंडे हटाने, और भूमि पर कब्जा करने की बात क्यों कर रहे हो, भूमि मुतजिका मद नं 2 प्रार्थनापत्र का तहसील चलकर आपसी सहमति से रिकॉर्ड में बंटवारा करवा देते हैं, इस पर गैरसायलान 1 ता 4 एकदम नाराज हो गये, और सायलान को स्पष्ट धमकी देकर गये कि हमें तहसील चलकर कोई बंटवारा नहीं कराना, हम तो भूमि मुतजिका मद नं 2 प्रार्थनापत्र के वाहनी बंटवारे को नहीं मानते हम तो हर सूरत में भूमि के राज मार्ग व बाईपास रोड पर स्थित कॉर्नर पार्ट की भूमि पर से तुम्हें बेदखल कर, स्वयं का कब्जा कर, निर्माण कर दीगर लोगों को रहन बय कर अंतरित करेंगे, तुम खसरा नं 5276/1 की भूमि से अपने खंडे हटा लेना, नही तो हम तुम्हारे खंडों की हमारे निर्माण में काम लेंगे। सायलान ने गैरसायलान 1 ता 4 को काफी समझाया, लेकिन गैरसायलान 1 ता 4 अज खुद मानने को तैयार नहीं हैं, इस कारण प्रार्थनापत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान पेश करना आवश्यक हुआ है।

गैरसायलान 1 ता 4 द्वारा सायलान को दी गई धमकी के अनुसार उनके कब्जे, हक व अधिकार की वाहमी बंटवारा दिनांक 01.01 2000 में प्राप्त आराजी बरंगलाल संलग्न नक्शा प्रार्थनापत्र पर से सायलान को बेदखल कर, स्वयं का कब्जा कर, निर्माण कर, रहन बयं कर दिया तो सायलान को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती दृव्य में किया जाना संभव नहीं होगा। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा म... ...थ-पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ... गैरसालयान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा इस प्रकार पा...द फरमाया जावे कि गैरसायलान, सायलान की संयुक्त आराजी खसरा नम्बर 5272 रकबा 0.72 हैक्टेयर, 5273/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
... (करौली)

रकबा 0.57 हैक्टेयर, 5274/1 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 5275/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 5276/1 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 5277/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 5278/1 रकबा 0. 46 हैक्टेयर, 5279/1 रकबा 0.39 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 3. 22 हैक्टेयर स्थित ग्राम हिण्डौन ।ठब्क, तहसील हिण्डौन, जिला करौली के संबंध में दिनांक 01.01.2000 को हुये वाहमी बंटवारे अनुरूप सायलान के कब्जे, हक व अधिकार में चली आ रही आराजी बरंगलाल संलग्न नक्शा प्राथनापत्र पर से सायलान को नाजायज तौर पर बेदखल कर, कब्जा कर, निर्माण कर, रहन वय कर अंतरित नहीं करें, ना ही किसी अपने प्रतिनिधि से करवायें, सायलान को उनके कब्जे, हक व अधिकार की आराजी आराजी बरंगलाल संलग्न नक्शा प्राथनीपत्र का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग, कृषि कार्य करने में कोई अवरोध या व्यवधान पैदा नहीं करें, रिकॉर्ड व मौके की स्थित यथावत रखें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस तलब किये गये। गैरसायालान की ओर से श्री सीताराम गुर्जर अधिवक्ता ने जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:–

1. मद नं. 1 प्रार्थनापत्र अनुसार सायलान द्वारा उपरोक्त उनवानी दावा बावत तकारमा व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता के लिए विरूद्ध गैरसायलान पेश करना स्वीकार है, परन्तु दावा बिना किसी अधिकार व औचित्य के कतई गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत होने के कारण सायलान को सफलता मिलना कल्पनामात्र है।
2. मद नं. 2 प्रार्थनापत्र स्वीकार है।
3. मद नं. 3 प्रार्थनापत्र स्वीकार है।
4. मद नं. 4 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि दिनांक 01.01.2000 को सायलान के बुजुर्ग दरबसिंह एवं गैरसायलान व उनके बुजुर्गान ने भूमि वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र को काश्त की सुविधा के लिए बाह्मी तौर पर बंटवारा कर लिया हो। सायलान का यह कथन भी कतई गलत है कि आराजीयात वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र में से हिण्डौन–करौली राजमार्ग पर स्थित भूमि खसरा नम्बर 5279/1 एवं उसके उत्तर–पश्चिम में स्थित भूमि खसरा नं. 5277/1 का पश्चिमी तरफ वाला भाग एवं भूमि खसरा नं 6275 का अधिकांश भाग, भूमि खसरा नं. 5276/1 का सम्पूर्ण एवं भूमि खसरा नं. 5272 का दक्षिण तरफ 1/2 भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तथा उससे जुड़ा तक बाईपास रोड पर स्थित भूमि खसरा नं. 5275/1 का भाग सायलान वो बुजुर्ग स्व. दरबसिंह के कब्जे, हक, अधिकार व हिस्सों में आया हो कि जिसे संलग्न नक्शा वादपत्र में लाल रंग की रोशनाई से महदूद किया गया हो। सायलान का यह कथन भी गलत है कि तथाकथित बाह्मी बंटवारा दिनांकित 01.01.2020 गैरसायलान नं. 1 लगायत 4 एवं उनके बुजुर्ग ज्ञानसिंह, सरदार, भगवत को आराजी वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र में से भूमि खसरा नं. 5277/1 5278/1, 5279/1 का पश्चिमी तरफ वाला भाग, भूमि खसरा नं. 5274/1 का सम्पूर्ण भाग,. भूमि खसरा नं. 5273/ का सम्पूर्ण भाग व भूमि खसरा नं. 5272 का उत्तरी तरफ वाला आधा भाग कब्जे, हक, अधिकार व हिस्से में दिया गया हो। सायलान का यह कथन भी गलत है कि गैरसायलान 1 ता 4 एवं उनके बुजुर्ग ज्ञानसिंह, शंकरिया को उक्त बाह्मी बंटवारे में कब्जे, हक, अधिकार की भूमि को संलग्न नक्शा प्रार्थनापत्र में हरे रंग की रोशनाई से महदूद कर दर्शित किया गया हो। संलग्न नक्शा प्रार्थनापत्र टी.आई. कतई गलत व मौके के विपरीत तैयार कर पेश किया गया है कि जो गैरसायलान को स्वीकार नहीं है।

5. मद नं. 5 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि उनके बुजुर्ग स्व. दरबसिंह ने भूमि वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र में से तथाकथित बाह्मी बंटवारा दिनांकित 01.01.2000 को प्राप्त आराजीवात तरंग साल में से भूमि खसरा नं 5279/1 में पुख्ता दुकानात का निर्माण कर उन्हें किराये पर दिया हो एवं कुछ आराजी को मार्बल चावसाय के लिए किराये पर दिया गया हो। सायलान कर यह कथन भी कतई गलत है कि अपने हक व अधिकार की आराजी खसरा नं. 5276/1 व 5277/1 में पहुंचने के लिए रास्ता छोड़ा हो एवं भूमि खसरा नं. 5277/1 में कॉलेज बाउण्ड्री के सहारे पाच गह पाटीरपोश एवं कुए का निर्माण कराया हो एवं शेष आराजी खसरा नं. 5272 के दक्षिणी भाग व भूमि खसरा नं. 5276/1 में खण्डे डालकर पानी की टंकी का निर्माण कर एवं काश्त कर भूमि खसरा नं. 5275/1.5277/1. 5278/1. 5279/1 को साल दर साल फसल काश्त कर अपने उपयोग–उपभोग में लिया गया हो। सायलान का यह कथन भी कतई गलत है कि वर्तमान में सायलान उक्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

काबिज व दखिल हो। सायलान का प्राइमाफेसी केस किसी भी प्रकार से साबित नहीं है।

6. मद नं. 6 प्रार्थनापत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि गैरसायलान आराजीयात वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र में से तथाकथित बाह्मी बंटवारा दिनांकित 01.01.2020 को प्राप्त आराजीयात वरंग हरा को अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हो। दिनांक 01.01.2000 को सायलान के बुजुर्ग दरबसिंह व गैरसायलान व उनके बुजुर्गान के मध्य कोई बाह्मी बंटवारा किसी प्रकार का नहीं हुआ है और ना ही संलग्न नक्शा प्रार्थनापत्र अनुसार सायलान व गैरसायलान आराजीयात वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र पर काबिज व दखील है।

7. मद न0 7 प्रार्थनापत्र जिस प्रकार दयार किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। सालान का हकतई गलत है कि गैरसायलान तथाकथित बंटवारा दिनाकित 01.01.2000 से चली आ रही आराजी भूमि रंग लाल संलग्न नक्शा प्रार्थनापत्र में से आराजी खसरा नं. 5276/1 व खसरा नं. 5272 के दक्षिणी तरफ वाले हिण्डौन- करौली बाइपास एवं करौली–हिण्डौन राजमार्ग तिराहे पर स्थित कॉर्नर भूमि को नाजायज तौर पर छीनना चाहते हो कि जिसके बावत् दिनांक 24.03.2021 को सायलान व गैरसायलान के मध्य कोई वातावरण हुआ हो। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि भूमि खसरा नं. 5272 का दक्षिणी तरफ वाला आधा भाग एवं भूमि खसरा नं. 5276/1 का सम्पूर्ण भाग तथाकथित बाहुमी बंटवारे में सायलान को प्राप्त हुआ हो कि जिनमें भूमि के उपयोग हेतु खण्डे पडे हों। दिनांक 24.03.2021 को समय सुबह करीब 11 बजे या किसी भी दिन किसी भी समय सायलान व गैरसायलान के मध्य इस मद में वर्णित कोई वातावरण / वार्तालाप नहीं हुआ है और ना ही गैरसायलान द्वारा सायलान को कोई धमकी किसी प्रकार की दी गई है। सायलान ने इस मद में दर्ज समस्त कथन कतई गलत, बनावटी महज प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के आशय से दर्ज किए हैं।

8. मद नं. 8 प्रार्थनापत्र कतई गलत है और स्वीकार नहीं है। गैरसायलान द्वारा भूमि वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र के 1/2 भाग को अपनी सुविधा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आवश्यकता अनुसार उपयोग–उपभोग में लिये जाने से सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नहीं पहुंच रही है और ना ही पहुंचने की संभावना है।

9. मद नं. 9 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। शुक्रिया का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित नहीं है बल्कि गैरसावलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

सायलान द्वारा प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नवीनतम जमाबंदी के साथ प्रत्येक पेज पर समस्त सायलान द्वारा हस्ताक्षरित कर शपथपत्र विधि अनुसार सत्यापित कराकर पेश नहीं किया गया है कि जिसके अभाव में प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। भूमि वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र हिण्डौन बाइपास निकलने से दो भागों में बंटी हुई है। हिण्डीन–करौली राजमार्ग पर दोनों ही पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर 14–14 दुकानों का निर्माणात कर लिया है व कुछ खाली भूमि को मार्बल व्यवसाय के लिए किराये पर दे रखा है। हिण्डौन–करौली राजमार्ग व हिण्डौन बाईपास तिराहे के पास स्थित भूमि बाह्मी बंटवारे के आधार पर गैरसायलान को प्राप्त हुई है कि जिसमें गैरसायलान द्वारा मिट्टी भराव का कार्य कर पुख्ता निर्माणात हेतु खण्डे डाल रखे हैं एवं हिण्डौन बाईपास के सहारे बजानिब पश्चिम दिशा की ओर गैरसायलान के कब्जे, हक व अधिकार में आई भूमि को गैरसायलान काश्त कर अपने उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। मौजूदा में गैरसायलान द्वारा भूमि में बाजरे की फसल काश्त की गई है। गैरसायलान द्वारा पशु चारा, कृषि औजार रखने हेतु तीन गेह पाटोरपोश, टीनशेड़ बना रखे हैं व पानी की टंकी व वाहन धुलाई का सर्विस सेन्टर बना हुआ है। विवादित आराजीयात वर्णित मद में 2 सहखातेदारी की भूमि है। कानूनन सहखातेदार को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। सायलान अत्यन्त ही चतुरशालाक बेईमान किरण के व्यक्ति है। सायल नं. 1 राजेन्द्र कुसंगति में पड़ा हुजा व्यक्ति है कि जो अपनी आवश्यकताओं एवं महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गैरसायलान को तंग व परेशान कर एवं अनुचित दबाव बनाकर गैरसायलान के हक अधिकार व करूजे काश्त एवं उपयोग–उपभोग की भूमि को हडपना चाहता है। सायलान व गैरसायलान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य व परिवारजन हैं। सायलान व गैरसायलान के मध्य सम्प रोड हिण्डौन सिटी पर स्थित पुख्ता दुकान का भी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है बल्कि दोनों पक्षकारान किरायेदार से प्राप्त किराया राशि को बांट कर अपने उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। सायलान व गैरसायलान के मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भायलापुरा, हिण्डौनसिटी में स्थित पुख्ता रिहायशी मकान का भी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। पक्षकारान अपनी सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार बाहमी बंटवारे में प्राप्त अपने–अपने हिस्से का अपने–अपने उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। पार्टली पार्टिशन (बंटवारा) कराया जाना संभव / न्यायसंगत नहीं है, सायलान ने सहहिस्से की समस्त सम्पत्तियों को दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में शामिल नहीं किया है, इसलिये प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। सायलान द्वारा बयान तथाकथित बाही बंटवारा तारीखी 01.01.2000 को सायलान नं 1 तारायलान 2 ता 4 नाबालिग थे कि जो किसी भी कार्य करने व स्वीकृति देने में कानूनन सक्षम नहीं थे और ना ही उक्त दिनांक को सायलान गैरसायलान के मध्य विवादित भूमि का कोई बाहमी बंटवारा हुआ है वादीगण / सायलान ने प्रतिपक्षी नं 5 को रजिस्टर्ड नोटिस म्यादी दो माह देकर विधि अनुसार पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है कि जिसके अभाव में दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सावलान कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थनापत्र में वर्णित एवरमेन्ट से यह उभरकर आया है कि विवादित भूमि एकमात्र कृषि लगानी भूमि नहीं रही है बल्कि व्यवसायिक व आवासीय प्रयोग में आ रही है, इसलिए प्रार्थनापत्र सायलान श्रीमान् न्यायालय के काबिल समाअत नहीं होकर सिविल न्यायालय के काबिल समाअत है। सायलान स्वच्छ हस्त व स्वच्छ मन से श्रीमान् न्यायालय में नहीं आये हैं, सायलान ने सही तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण संस्थित कराया है, इसलिए सायलान कोई दादरसी / सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जाकर गैरसायलान को सायलान से हर्जा खास दिलाया जावे।

सायलान ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 2230, फोटो कॉपी नक्शा ट्रैश वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान सायलान की संयुक्त [illegible] खसरा नम्बर 5272 रकबा 0.72 हैक्टेयर, 5273/1 रकबा 0.5[illegible] हैक्टेयर, 52[illegible]/1 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 5275/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 5276/1 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 5277/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

5278/1 रकबा 0. 46 हैक्टेयर, 5279/1 रकबा 0.39 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 3. 22 हैक्टेयर स्थित ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन, जिला करौली के संबंध में दिनांक 01.01.2000 को हुये वाहमी बंटवारे अनुरूप सायलान के कब्जे, हक व अधिकार में चली आ रही आराजी बरंगलाल संलग्न नक्शा प्राथनापत्र पर से सायलान को नाजायज तौर पर बेदखल कर, कब्जा कर, निर्माण कर, रहन वय कर अंतरित नहीं करें, ना ही किसी अपने प्रतिनिधि से करवायें, सायलान को उनके कब्जे, हक व अधिकार की आराजी आराजी बरंगलाल संलग्न नक्शा प्राथनीपत्र का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग, कृषि कार्य करने में कोई अवरोध या व्यवधान पैदा नहीं करें, रिकॉर्ड व मौके की स्थित यथावत रखने का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने दौराने बहस में जबाब प्रार्थना पत्र को दोहरया और कहा कि सायलान द्वारा प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नवीनतम जमाबंदी के साथ प्रत्येक पेज पर समस्त सायलान द्वारा हस्ताक्षरित कर शपथपत्र विधि अनुसार सत्यापित कराकर पेश नहीं किया गया है कि जिसके अभाव में प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। भूमि वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र हिण्डौन बाइपास निकलने से दो भागों में बंटी हुई है। हिण्डौन–करौली राजमार्ग पर दोनों ही पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर 14–14 दुकानों का निर्माणात कर लिया है व कुछ खाली भूमि को मार्बल व्यवसाय के लिए किराये पर दे रखा है। हिण्डौन–करौली राजमार्ग व हिण्डौन बाईपास तिराहे के पास स्थित भूमि बाह्मी बंटवारे के आधार पर गैरसायलान को प्राप्त हुई है कि जिसमें गैरसायलान द्वारा मिट्टी भराव का कार्य कर पुख्ता निर्माणात हेतु खण्डे डाल रखे हैं एवं हिण्डौन बाईपास के सहारे बजानिब पश्चिम दिशा की ओर गैरसायलान के कब्जे, हक व अधिकार में आई भूमि को गैरसायलान काश्त कर अपने उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। मौजूदा में गैरसायलान द्वारा भूमि में बाजरे की फसल काश्त की गई है। गैरसायलान द्वारा पशु चारा, कृषि औजार रखने हेतु तीन गेह पाटोरपोश, टीनशेड़ बना रखे हैं व पानी की टंकी व वाहन धुलाई का सर्विस सेन्टर बना हुआ है। विवादित आराजीयात वर्णित मद में 2 सहखातेदारी की भूमि है। कानूनन सहखातेदार को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। सायलान अत्यन्त ही चतुरशालाक बेईमान किरण के व्यक्ति है। सायल नं. 1 राजेन्द्र कुसंगति में पड़ा हुआ व्यक्ति है कि जो अपनी आवश्यकताओं एवं महत्त्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गैरसायलान को तंग व परेशान कर एवं अनुचित दबाव बनाकर गैरसायलान के हक अधिकार व मकरूजे काश्त एवं उपयोग–उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

की भूमि को हडपना चाहता है। सायलान व गैरसायलान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य व परिवारजन हैं। सायलान व गैरसायलान के मध्य डैम्प रोड, हिण्डौन सिटी पर स्थित पुख्ता दुकान का भी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों ही पक्षकारान किरायेदार से प्राप्त किराया राशि को बांट कर अपने उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। सायलान व गैरसायलान के मध्य भायलापुरा, हिण्डौनसिटी में स्थित पुख्ता रिहायशी मकान का भी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। पक्षकारान अपनी सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार बाहमी बंटवारे में प्राप्त अपने–अपने हिस्से को अपने–अपने उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। पार्टली पार्टिशन (बंटवारा) कराया जाना संभव / न्यायसंगत नहीं है, सायलान ने सहहिस्से की समस्त सम्पत्तियों को दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में शामिल नहीं किया है, इसलिये प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। सायलान द्वारा बयान तथाकथित बाही बंटवारा तारीखी 01.01.2000 को सायलान नं 1 तारायलान 2 ता 4 नाबालिग थे कि जो किसी भी कार्य करने व स्वीकृति देने में कानूनन सक्षम नहीं थे और ना ही उक्त दिनांक को सायलान गैरसायलान के मध्य विवादित भूमि का कोई बाहमी बंटवारा हुआ है वादीगण / सायलान ने प्रतिपक्षी नं 5 को रजिस्टर्ड नोटिस म्यादी दो माह देकर विधि अनुसार पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है कि जिसके अभाव में दावा व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सावलान कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं होने से खारिज होंने योग्य है। प्रार्थनापत्र में वर्णित एवरमेन्ट से यह उभरकर आया है कि विवादित भूमि एकमात्र कृषि लगानी भूमि नहीं रही है बल्कि व्यवसायिक व आवासीय प्रयोग में आ रही है, इसलिए प्रार्थनापत्र सायलान श्रीमान् न्यायालय के काबिल समाअत नहीं होकर सिविल न्यायालय के काबिल समाअत है। सायलान स्वच्छ हस्त व स्वच्छ मन से श्रीमान् न्यायालय में नहीं आये हैं, सायलान ने सही तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण संस्थित कराया है, इसलिए सायलान कोई दादरसी / सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जाकर गैरसायलान को सायलान से हर्जा खास दिलाया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष वकील [illegible] बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 20[illegible]74 खाता संख्या 2230, फोटो कॉपी नक्शा ट्रेश वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में सायलान एवं गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त विवादित भूमि अनुसुचित जाति की है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित होता है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं प्रकरण में मुल दावा तकास्मा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 26.03.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा न0 5272, 5273/1, 5274/1, 5275/1, 5276/1, 5277/1, 5278/1, 5279/1 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में मौके पर कोई निर्माण नहीं करने की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 3-6-25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:13 IST
Reason: SelfAttested